कार्यालय निदेशक कार्य (भू.अ)
राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर

क्रमांक नि.का/निविदा/D.W (E.O)/ 1315-1323 दिनांक 30/3/2022

(समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत)

निविदा सूचना संख्या 13 (2021–2022)

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर के V^{th} दीक्षान्त समारोह कार्यक्रम हेतु राज्यपाल महोदय से अनुमोदनानुसार संभावित चतुर्थ सप्ताह अप्रैल को डोम टाईप पांडाल टैन्टेज मय कुर्सियों–कनात इत्यादि की व्यवस्थाओं के लिए खुली निविदा आमत्रित की जाती है:–

क. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि 2%	निविदा शुल्क
1	दीक्षान्त समारोह के लिए डोम टाईप वाटर प्रुफ टेन्ट एवं टैन्ट सामग्री (Tentage) की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	8,26,450/-	16,529/-	1000/-

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित निविदा शुल्क राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक निदेशक कार्य (भू.अ.), राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर के पक्ष में बनवाकर दिनांक 11.04.2022 को अपराह 4.00 बजे तक निदेशक कार्य (भू.अ.), राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर से प्राप्त कर अथवा www.sppp.raj.gov.in से डाउनलोड करके दिनांक 12.04.2022 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा कराए जा सकते है। प्राप्त निविदाऐं उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 12.04.2022 को अपराह 3.00 बजे खोली जाएगी।

निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निदेशक कार्य (भू.अ.), राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर को होगा।

UBN - VAU2122GTSOB00074

निदेशक कार्य (भू.अ)
राजूवास, बीकानेर

निदेशक कार्य (भू०अ०)
राज० पशु चिकित्सा एवम
पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
बीकानेर

प्रतिलिपि:–

1. श्रीमान् वित नियत्रंक, राजूवास, बीकानेर
2. श्रीमान् कोषाधिकारी, राजूवास, बीकानेर
3. नोडल अधिकारी, राजूवास, बीकानेर को विश्वविधालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. तकनिकी सहायक, निदेशक कार्य राजूवास, बीकानेर को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर अपलोड करने हेतु।
5. सहायक अभियंता राजूवास, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि निविदा प्रपत्र अविलम्ब इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
6. लेखापाल/कैशियर
7. सम्बन्धित ऑडिटर
8. रक्षित पत्रावली
9. सूचना पट्ट

निदेशक कार्य (भू.अ)

निदेशक कार्य (भू०अ०)
राज० पशु चिकित्सा एवम
पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
बीकानेर

कार्यालय निदेशक कार्य (भू.अ)
राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर

क्रमांक नि.का/निविदा/D.W (E.O)/ 1315-1323 दिनांक 30/3/2022

तकनिकी निविदा प्रपत्र

टैन्टेज (पाण्डाल) मय कुर्सियों–कनात इत्यादि की व्यवस्थाओं के लिए दर संविदा हेतु तकनिकी निविदा प्रपत्र

1. टैन्टेज (पाण्डाल) मय कुर्सियों–कनात इत्यादि की व्यवस्थाओं के लिए दर संविदा हेतु निविदा (कार्य का अवलोकन करें) ....
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम ....
   डाक का पता, टेलीफोन नं. एवं GST Registration No. ....
3. सम्पर्क कार्यालय का पता ....
   ....
4. किसको संबोधित किया गया –
5. निविदा सूचना संदर्भ .... दिनांक ....
6. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रू.. निदेशक कार्य (भू.अ.), राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर के पक्ष में बैंकर चैक/डी.डी. द्वारा जमा करा दी गई है।
7. हम निदेशक कार्य (भू.अ.), राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षार कर दिए है)।
8. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न वित्तीय निविदा प्रपत्र 'अ' में दर्शाई गई दरें सभी कर एवं शुल्क सहित अंकित करें। अलग से कर की दरें अंकित करने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी। दरें शब्दो एवं अकों में दी जाएगी।
9. सामाग्री/कार्य जिसके लिए निविदादाता अपनी दरें प्रस्तुत करता है, उसके नमूने, यदि आवश्यक हो तो, पृथक से सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करेगे।
10. प्रपत्र 'अ' में दी गई दरें अनुमोदन की तिथि से लगभग 2 माह (मई/जुन 2022 तक) के लिए मान्य होगी।

11. निविदा सूचना में अंकित राशि रू.................................... बोली प्रतिभूति (Bid Security) के रूप में निदेशक कार्य (भू.अ.), राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर के पक्ष में बैंकर चैक/डी.डी. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र.स.	विवरण	राशि (रू.)

12. निविदा फार्म के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता/सेवाप्रदाता आदि का धोषणा पत्र प्रपत्र 'ब' संलग्न है।
14. निविदा फार्म के साथ गत तीन वर्षो में ब्लेक लिस्ट नहीं होने का प्रमाण प्रपत्र 'स' संलग्न है।
15. निविदा फार्म के साथ Fall Clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' संलग्न है।
16. फर्म के टैन्टेज (पाण्डाल) मय कुर्सियों–कनात इत्यादि की व्यवस्थाओं के पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2018–19, 2019–20 व 2020–21) का औसत टर्न ओवर राशि रू. 20.00 लाख या अधिक होना आवश्यक है। साक्ष्य हेतु निविदा दाता फर्म द्वारा सम्बन्धित वर्ष के प्रमाणित लेखे यथा लाभ–हानि खाता, ऑडिटेड बैलेन्स शीट आदि की Charted Accountant से प्रमाणित प्रति संलग्न की जाऐं। टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करें।

नोटः– निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति (Bid Security), जीएसटी पंजीकरण तथा विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता/सेवाप्रदाता के धोषणा पत्र आदि के अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक

टैन्टेज (पाण्डाल) मय कुर्सियों–कनात इत्यादि की व्यवस्थाओं की दर संविदा (Rate Contract) हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्तें

1. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्ते निविदा का भाग मानी जाएगी। सामान की आपूर्ति विश्वविद्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु होगी।
2. मूल निविदा प्रपत्र के साथ प्रपत्र 'अ' में ही निविदादाता अपनी दरें दर्शाए। विश्वविद्यालय प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
3. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान विश्वविद्यालय व अधीनस्थ इकाईयों द्वारा फर्म द्वारा आदेशित मात्रा व निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार आपूर्ति करने पर सामान्यत या तीन माह में कर दिया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज या अन्य अतिरिक्त भुगतान नही दिया जाएगा।
4. निविदा के साथ बोली प्रतिभूति (Bid Security) निदेशक कार्य (भू.अ.), राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर के पक्ष में बैंकर चैक/डी.डी द्वारा स्वीकार्य होगी। बोली प्रतिभूति(Bid Security) के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
5. सफल निविदादाता को निविदा राशि के 3 प्रतिशत राशि के समतुल्य कार्य सम्पादत प्रतिभूति (Performance Security) विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी तथा नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश/क्रयादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं विश्वविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
7. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।
8. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कॉंट छॉंट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। कॉंट छॉंट /ओवर राईटिंग होने पर निविदादाता हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा।
9. निविदा प्रपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक कार्य (भू.अ.), राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर को होगा।
10. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करनें पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।

11. कार्यादेश के अनुसार सामान/सामग्री/सेवा की आपूर्ति कार्यादेश में उल्लेखित अवधि में करनी होगी।

12. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामाग्री प्रदाय करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर निदेशक कार्य (भू.अ.), राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पैनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेगें। इसके साथ ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त की जा सकेगी।

13. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 11.04.2022 को 4.00 बजे तक निदेशक कार्य (भू.अ.), राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान. विश्वविधालय, बीकानेर से प्राप्त किए जाकर दिनांक 12.04.2022 को दोपहर 1.00 बजे तक स्वीकार किए जाएगे एवं दिनांक 12.04.2022 को अपराह्न 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएगें। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रो पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियिम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।

15. दर संविदा समयावधि आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढाई जा सकती है।

16. बोली प्रतिभूति (Bid Security) राजस्थान लघु उधोग इकाईयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत और कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) आदेशित मात्रा के मूल्य के 1 प्रतिशत ली जाएगी। अतः यदि फर्म लघु उधेग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनिकी निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, निदेशक उधोग विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उधोग इकाईयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।

17. राजस्थान के बाहर की फर्मो तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी संशोधित नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price Preference) की हकदार नही है, द्वारा निविदतदरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात् स्थानीय व बाहरी फर्मो द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में स्थानीय फर्म की दर से जीएसटी को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय कर को सम्मिलित किया जाएगा।

18. निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिक्विडेटेड डेमेज राशि 2.5 से 10.00 प्रतिशत वसूल की जाएगी। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशो में लिखित अवधि में वृद्वि की हो तो प्रदाय नहीं किये गये कार्यो के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगीः–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5 प्रतिशत

(ध) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10.00 प्रतिशत

19. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लधंन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर निदेशक कार्य (भू.अ.), राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशो को रद्द करते हुए निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।

20. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को सामाग्री/सेवा की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा।

21. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security) कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।

22. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार–बोली मूल्याकंन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युतरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात्‌ः–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य प्रभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्याकंन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के धटको को जोडने या धटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो धटक अभिभावी होगें और योग में सुधार किया जायेगा और

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबधित न हो, ऐसे मामले में उपयुक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

23. **सत्यनिष्ठा संहिता**— उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति—

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम व दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नही करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुव्यपदेशन या लोप नही करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्वि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नही होगा।

(ध) उपापन संस्था और बोली लगाने वालो के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नही करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नही होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखपरीक्षा में बाधा नही डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

24. **हित का विरोध**—

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिको और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो तो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तदायित्वों, संविदागत बाध्यताओ के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रमाणित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिको हितों के विरोध में समझे जायेगें, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है:—

(क) हित का विरोध तक धटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालना करने में हस्तक्षेप करते हो या हस्तक्षेप करतु हुए प्रतीत होते हो।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्रय क्रिया कलाप और सम्बन्धताए, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसके बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध में उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिको की कार्यवाईयों या विनिश्चत से फायदा पहुचाते देखा जाता है या उन्हे उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारो के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित है किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदिः—

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयिकी प्राप्त करते है या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दुसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दुसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुचाने या दुसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति में रखता हो।

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्व किन्ही व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाईन या तननिकी विनिर्देशो को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेगें कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किसे है, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो संबद्व है और नहीं संबद्व रहा है, या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

25. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य. सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगे।

1) अपीलः– (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था को कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशो या मार्गदर्शन के उपबंधो के उल्लधंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजो या बोली में विनिर्दिष्ध की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र–'र') में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने के सफल होने की धोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहॉ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनिकी बोली का मूल्याकंन करती है वहॉ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनिकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारो को सुने जो का सुक्तिसुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्वातों के उपबंघो और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजो, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजो या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजो के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो एप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारो पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीध्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित्त अधिकारी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन

आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारो को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किएजाने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्वान्तों के उपबंधो और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजो, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्ररकरण दस्तावेजो या यथास्थिति, बोली दस्तावेजो के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं और तदनृसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीध्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजो, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति बोली उस्तावेजो में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाए।

(10) कोई भी ऐसी सूचना जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितो के संरक्षण का हास करेगी या विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अडचन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2) अपील का प्रारूपः– (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र–'र') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिध के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

(3) अपील फाईल करने के लिए फीस – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपयें और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपयें होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

(4) अपील के निपटारे की प्रक्रिया – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाईल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील शपथ पत्र और दस्तावेजो, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियम तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारीः–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारो की सुनवाई करेगा और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजो, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारो की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजो, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकरों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

26. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक कार्य (भू.अ.), राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर को होगा।

27. यदि वाद उत्पन्न होने की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, बीकानेर (राजस्थान) होगा।

निदेशक कार्य (भू.अ.)
राजुवास, बीकानेर

निदेशक कार्य (भू.अ.)
राज० पशु चिकित्सा एवम्
पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
बीकानेर

मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मै/हम उपर्युक्त समस्त शर्तो से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

टैन्ट सामग्री की आपूर्ति हेतु अन्य तकनिकी शर्तेः—

1. फर्म को आदेशानुसार एवं गठित समिति के निर्देशानुसार कार्य करना होगा एवं समस्त कार्य कार्यक्रम की तिथि से एक दिवस (24 धण्टे) पूर्व तक पूर्ण करना होगा। कार्यादेश में अंकित सामाग्री की मात्रा अनुमानित है, जो धटाई—बढाई जा सकती है।

2. दरों में सभी प्रकार के सामान का किराया एवं उसका लाना, लगाना तथा समारोह के पश्चात सामान को हटाना व वापिस ले जाना इत्यादि सभी कार्य शामिल किए जाने है। सभी सामान की सुरक्षा एवं उसकी चौकीदारी की जिम्मेवारी भी आपूर्तिकर्ता की होगी। इस हेतु किसी प्रकार की कोई व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा नही की जाएगी अथवा अतिरिक्त भुगतान नही किया जाएगा। फर्म द्वारा प्रयुक्त सामाग्री हेतु एक दिन का किराया देय होगा।

3. फर्म को सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे धूप, तेज वर्षा (वाटर प्रूफ), हवा, आंधी इत्यादि की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पंडाल को सभी दृष्टि से मजबूत एवं सुरक्षात्मक बनाना होगा ताकि समारोह के दौरान एकाएक किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। कार्य प्रारम्भ करने से लेकर एवं पंडाल लगाने के बाद से समारोह समाप्ति तक फर्म के कार्यकर्ता/तकनिकी स्टॉफ पांडाल में ही मौजुद रहेगें, जिन्हे प्रत्येक दिन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिकारी के मार्ग दर्शन अनुसार कार्य करना होगा।

4. विधुत हेतु जनरेटर फर्म द्वारा उपलब्ध करवाना होगा। समस्त वायरिंग आवश्यकतानुसार पूरे पांडाल में पूर्ण सुरक्षात्मक तरीके से दक्ष (अनुभवी) पंजीकृत विधुतकर्मी के द्वारा सभी मापदण्डो को ध्यान में रखते हुए फर्म को ही सुनिश्चित करनी होगी। समस्त वायरिंग को सावधनीपर्वूक लगाना होगा। फर्श पर होने वाली वायरिंग को टेप (इंसुलेशन) लगाकर सुरक्षित करना होगा।

5. समस्त सामान साफ सुथरा व मजबूत ही प्रयोग में लेना होगा। गन्दा फटा हुआ या पेबन्द लगा हुआ नहीं लगाया जा सकेगा, अन्यथा भुगतान देय नही होगा।

6. समारोह की व्यवस्था एवं समारोह के दौरान फर्म अथवा उसके प्रतिनिधि की गलती से विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार की क्षति/आर्थिक हानि होती है तो उसकी वसूली फर्म को देय भुगतान से की जा सकती है।

7. लाईटें निर्धारित स्थान पर दक्ष (अनुभवी) पंजीकृत लाईटमेन द्वारा लगाई जाएगी। किसी प्रकार की दुर्धटना की जिम्मेवारी फर्म की होगी।

8. कार्यादेश में अंकित सामाग्री आदेश देने के पश्चात कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से 07 दिवस पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुचाकर कार्य प्रारम्भ कर एवं निर्धारित अवधि में व्यवस्था करनी होगी। सामग्री उतारने व लगाने में कोई दुर्धटना, चोरी आदि से हुई हानि की जिम्मेवारी फर्म की होगी। उचित यही होगा कि फर्म टेन्ट, लाईट सामग्री आदि का बीमा अपने स्तर पर करवा ले। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी।

9. कार्य समाप्त होने पर फर्म द्वारा लगाए गए श्रमिको को पूर्ण भुगतान करने का प्रमाण पत्र देना होगा तथा बाल श्रमिक नहीं लगाने का भी प्रमाण पत्र देना होगा।

10. प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री (सोफा, कुर्सियां, टेबल व अन्य सामान इत्यादि) मजबूत एवं साफ—सुथरी तथा समारोह की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए।

11. कार्यक्रम के दौरान जनरेटर को चलाने की व्यवस्था फर्म को करनी होगी तथा इस दौरान विधुत आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। जनरेटर में डीजल की टंकी फर्म द्वारा पुरी डीजल से भरकर लानी होगी तथा विश्वविद्यालय के नियुक्त अधिकारी को चेक करवाना होगा तथा कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा जनरेटर की टंकी को डीजल से पुनः भरवा दिया जावेगा।

12. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 की शर्तो एवं विश्वविद्यालय में प्रचलित अन्य नियम व शर्तो की अनुपालना करनी होगी।

13. फर्म को निर्धारित तिथिसे पूर्व दीक्षान्त समारोह कार्यक्रम रिहर्सल हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित पाण्डाल समिति को लगाए गए सामान का निरीक्षण व सत्यापन कराना होगा।

निदेशक कार्य (भू.अ)
राजुवास, बीकानेर

निदेशक कार्य (भू॰अ॰)
राज॰ पशु चिकित्सा एवम
पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
बीकानेर

'एच' शिडयूल

टेन्ट सामग्री (Tantage) की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य

प्रपत्र 'अ'

क्र. स.	कार्य	दीक्षान्त समारोह हेतु अनुमानित मात्रा	दर (रू) (समस्त कर, व्यय एवं भाडा सहित) प्रति इकाई (वर्गफुट/नग/घण्टा/जॉब/R.ft.)	कुल राशि (रू.)
1	Dome Type Water Proof super Structure with New White Cloth for Sitting Area 80'x180'	14400 Sqft.		
2	Generator Set 125 KVA Silent without POL/Diesel including connection and operation	02 Nos		
3	वुडन स्टेज प्लेटफार्म 30'x70'x3 ½'	2100 Sqft.		
4	Helogen Light 500 Watt including wiring and connection	20 Nos		
5	Metal Light/LED Light 400 Watt including wiring and connection	26 Nos		
6	One dice for seven persons with leather chairs and with blue Blazor	01 Nos		
7	Water proof V.I.P. room for H.E. the Governer with sofa, center table, dressing table complete alongwith toilet arrangement etc. size 18'x18'	01 Nos		
8	Wooden Table with Cover and Frill 6'x2'/5'x2'6"	30 Nos		
9	टेबल कवर फ्रिल सहित अलग से लगाने का कार्य	195 Rft.		
10	Pyramid Shape water Proof Canopy Approx. 15'x15' Ft for water Hut	01 Nos		
11	Center table with Cover 4'x2'	08 Nos		
12	Tower A.C. Three Ton each including complete wiring system & fitting	13 Nos		
13	Ceiling Fan 48" including complete wiring system & fitting	60 Nos		
14	Pedestal Fan including wiring and connection	20 Nos		
15	Two seater white leather sofa with centre table	28 Nos		
16	Non-Woven Synthetic New Carpet (Red/Green)	20000 Sqft.		
17	Benquet Chair with new white cover	600 Nos		
18	Water Camper for drinking water 20 Ltr. (cold R.O. water)	125 Nos		
19	पानी पिलाने के लिए वेटर	10 Nos		
20	Library से पाण्डाल तक शोभायात्रा (Procession Path) को पाईप फ्रेम व ऊपर वाटर प्रुफ सिलिंग 9 फुट चौडाई में कवर करने का कार्य	20 Rft.		
21	ट्रे (Tray)	20 Nos		
22	Tent for V.I.P. Dining water proof with elevated floor 4" with dining table & chairs	1944 Sqft.		

	36’x54’			
23	V.I.P. chairs for Stage	100 Nos		
24	Disposal Glass	3000 Nos		
25	Jamboo Cooler Outside the dome with erection window in side the pandal with proper Covering including wiring, connection & water filling	20 Nos		
26	मिनिरल वाटर बोटल 1/2 लीटर (chilled)	400 Nos		
27	Dustbin	4 Nos		
28	पानी पीने के स्टील के लौटे	10 Nos		

I/We beg to tender as per above
mentioned Item Rate

Signature of Contractor and Full Address

Director Works (EO)
RAJUVAS, Bikaner

निदेशक कार्य (सम्पदा)
राज० पशु चिकित्सा एवं
पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
बीकानेर